आकाशवाणी और दूरदर्शन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिये पदों का आरक्षण

9992. **श्री राम प्रसाद देशमुख :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशावणी और दूरदर्शन में प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव और असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टरों के पदों के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये कोटा आरक्षित किया गया है ;

(ख) क्या उक्त कोटा स्टाफ आर्टिस्टों और प्रोड्यूसरों के लिये आरक्षित नहीं है; और

(ग) क्या सरकार का विचार प्रोड्यूसरों की नियुक्ति भी अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों में से करने का है जैसा कि अनुसूचित जनजातियों मे से रखे जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी): (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). अनुसूचित जातियों तथा अनसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिये आरक्षण आदेश संगीतज्ञों और वादय गायकों की श्रेणी को छोड़कर आकाशवाणी के अन्य सभी स्टाफ आर्टिस्टों पर 18 सितम्बर, 1976 से लागू किए गए हैं । आकाशवाणी के प्रोड्यूसर स्टाफ आर्टिस्ट होने के कारण इस आदेश के अन्तर्गत आते हैं । जहां तक दूरदर्शन का सम्बन्ध है, निम्नलिखित श्रेणियों के स्टाफ आर्टिस्ट अर्थात् जनरल असिस्टेंट कापीस्ट, कारपेंटर, पेंटर, दर्जी, मोल्डर, लाइटिंग असिस्टेंट और फ्लोर असिस्टेंट आरक्षण आदेशों के अन्तर्गत आते हैं । आरक्षण आदेशों को दूरदर्शन के अन्य श्रेणियों के स्टाफ आर्टिस्टों पर लागू करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

प्रोग्राम एक्जीक्यूटिवों द्वारा कार्यक्रमों का सुचारु रूप से चलाया जाना

9993. **श्री टी० एस० नेगी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1974 से पहले प्रोग्राम एक्जीक्यूटिवों के 50 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाते थे;

(ख) क्या ऐसा स्टूडियों एक्जीक्यूटिव लाइब्रेरियन और प्रोग्राम सेक्रेटरी के पद पर काम करने वालों को, जिन्हें ट्रांसमीशन एक्जीक्यूटिव के पदों पर पदोन्नत किया गया था, प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव के पदों पर पदोन्नत करने के लिए किया गया था ;

(ग) क्या पदोन्नति सम्बन्धी नियमों में 1976 में संशोधन किया गया था, क्योंकि उपरोक्त कर्मचारी प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव के नाते दक्ष नही थे; और

(घ) यदि हां, तो पदोन्नत प्रोग्राम एक्जीक्यूटिवों द्वारा कार्यक्रम सुचारू रूप से चलाये जाने को सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी): (क) और (ख). प्रोग्राम एक्जीक्यूटिवों के पदों के भर्ती नियम अगस्त, 1973 में संशोधित किए गए थे जिनमें 75 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा और शेष 25 प्रतिशत पद ट्रांसफीशन एक्जीक्यूटिवों के पदों में से विभागीय पदोन्नति द्वारा भरे जाने की व्यवस्था की गई थी। तथापि, संशोधित नियमों में एक यह उपबन्ध भी किया गया था कि सीधी भर्ती तथा विभागीय पदोन्नति इस संशोधन की तारीख से दो

वर्ष की अवधि के लिए पचास-पचास प्रतिशत तक की जायेगी । दो वर्ष के लिए पदोन्नति का कोटा बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि संशोधित भर्ती नियमों को अन्तिम रूप दिए जाने तक, उन ट्रांसमीशन एक्जीक्यूटिवों, जो लम्बे समय से तदर्थ आधार पर प्रोग्राम एक्जीक्यूटिव के रूप में कार्य कर रहे थे, में से अधिक से अधिक की नियमित पदोन्नति हो जाए ।

(ग) जी, नही ।

(घ) प्रश्न नही उठता ।

सुलतानपुरी, दिल्ली में एक हरिजन की हत्या

9994. **श्री मही लाल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी० 349, सुलतानपुरी के निवासी एक हरिजन, महिन्दर की हाल ही मे हत्या कर दी गई थी और उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया गया था ,

(ख) क्या मिसरू के बेटे सुभाष और उसके अन्य सबंधियों तथा मित्रों ने उसके घर मे जाकर उस पर हमला किया था ,

(ग) क्या नागलोई पुलिस ने महिन्दर की पत्नी के अपहरण के बारे मे उसकी शिकायत दर्ज करने से इन्कार कर दिया था ;

(घ) क्या महिन्दर के भाई बीरसेन की हत्या करने के भी प्रयत्न किये गये थे और अब उसको धमकी दी गई है कि उसकी हत्या कर दी जायेगी;

(ङ) उसकी रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(च) इतने गम्भीर अपराधों के संबंध में पुलिस ने क्या कार्यवाही की है; और

(छ) दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार न करने और भयभीत हरिजन परिवार की रक्षा की व्यवस्था न करने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनिक लाल मण्डल) : (क) से (ग). श्री महिन्दर सिंह ने 1-3-1978 को रेलगाडी के सामने कूदकर आत्महत्या की । इससे पहले 28-2-78 की रात को उसने थाना नागलोई मे एक रिपोर्ट दर्ज करायी थी . कि उसकी पत्नी लापता है । इसे रोजनामचे मे दर्ज किया गया था । 18-4-1978 को उसके भाई श्री बीरसेन ने लिखित शिकायत मे कहा था कि श्री महिन्दर सिंह की पत्नी का अपहरण कर लिया गया है और एक व्यक्ति सुभाष तथा उसकी पत्नी ने उसे गुप्त रूप से गलत तरीके से बद कर रखा है । इस पर एक मामला थाना नांगलोई मे भारतीय दड सहिता की धारा 365 के अन्तर्गत 18-4-1978 को प्रथम सूचना रिपोर्ट सख्या 328 पजीकृत किया गया और जाच की जा रही है । महिन्दर सिंह द्वारा मिसरू के पुत्र सुभाष तथा अन्य सबधियों और मित्रों द्वारा उसके घर से उस पर आक्रमण किये जाने के सबध मे पुलिस थाने मे कोई रिपोर्ट नही दर्ज की गई थी ।

(घ) से (छ). बीर सेन द्वारा उसकी हत्या करने के कोई प्रयास करने के बारे में रिपोर्ट दर्ज नही कराई गई है । तथापि, उसने 3-3-1978 और 15-3-1978 को थाना नांगलोई मे रिपोर्ट की कि उसे धमकी दी गई है और उसे सुभाष तथा अन्य से अपने जीवन को खतरे की आशका है । इस पर स्थानीय पुलिस ने दड प्रकिया संहिता की धारा 107/150 के अन्तर्गत कार्रवाई आरम्भ की और ये एस० डी० एम० के न्यायालय मे विचारण के लिए लम्बित है । मुकदमे मे दोनों पक्ष के लोग हरिजन है ।